अनुसूची–ख

(धारा 8 देखिए)

उपविधियों की विषयवस्तु

(1) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) सोसाइटी का नाम और पता;

(ख) उसका कार्यक्षेत्र;

(ग) सोसाइटी के उद्देश्य;

(घ) वह रीति जिससे निधियां जुटायी जा सकेंगी और अधिकतम शेयर पूंजी जो कोई एकल सदस्य धारण कर सकेगा;

(ङ) सदस्यों के दायित्व का प्रकार और सीमा;

(च) वह सीमा जिस तक सोसाइटी निधियां उधार ले सकेगी और ऐसी निधियों पर संदेय ब्याज की दरें;

(छ) सदस्यों से संगृहीत की जाने वाली प्रवेश और अन्य फीसें;

(ज) वे प्रयोजन जिनके लिए उसकी निधियों का उपयोजन किया जा सकेगा;

(झ) सदस्यों के सम्मिलित किये जाने के निबंधन, अर्हताएं और शर्तें और उनके अधिकार और दायित्व;

(ञ) ऋण सोसाइटियों की दशा में,-

(i) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम उधार;

(ii) सदस्यों को दिये गये उधारों के ब्याज की अधिकतम दरें;

(iii) वे शर्तें जिन पर सदस्यों को उधार मंजूर किया जा सकेगा;

(iv) उधारों और अग्रिमों के प्रतिसंदाय के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए प्रक्रिया;

(v) किसी शोध्य राशि के संदाय में व्यतिक्रम के परिणाम; और

(vi) वे परिस्थितियां जिनके अधीन उधार वापस लिया जा सकेगा।

(ट) ऋणेत्तर सोसाइटियों की दशा में, कारबार, क्रय, विक्रय, स्टॉक मिलान करने का ढंग और अन्य सहबद्ध मामले;

(ठ) बैंठकें करने और नोटिस जारी करने का ढंग;

(ड) समिति की निर्वाचन द्वारा या अन्यथा नियुक्ति और समिति को हटाने का ढंग तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाये जाने का ढंग, समिति और ऐसे अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियां तथा उनकी अवधि;

(ढ) शुद्ध लाभों का व्ययन;

(ण) रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा उनका प्रकाशन;

(त) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के मामले में, जो सम्बद्ध कृषि सहकारी ऋण सोसाइटियों के कार्य को सुकर बनाती है और जिसने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, ''कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि'' का गठन;

(थ) निधियों का गठन और अनुरक्षण;

(द) नाममात्र के और सहयुक्त सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व;

(ध) उपविधियों को बनाने, परिवर्तित करने और निराकृत करने की रीति;

(न) अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य तथा बहुमत का समर्थन खो देने पर उसका हटाया जाना;

(प) वार्षिक और विशेष साधारण बैंठकें बुलाने, नोटिस जारी करने का ढंग तथा उनमें किया जाने वाला कारबार;

(फ) अन्य सोसाइटी को प्रतिनिधि भेजने;

(ब) अपने कारबार के प्रबंध से आनुषंगिक कोई अन्य मामले।

(2) कोई सोसाइटी निम्नलिखित विषयों के लिए उपविधियां बना सकेगी, अर्थात् :-

(क) सोसाइटी के वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती का ढंग, सेवा की शर्तें और उनके वेतनमानों और भत्तों को नियत, पुनरीक्षित या विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों के निपटारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) वे परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता से प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ग) सदस्यों के प्रत्याहरण, अपात्रता और मृत्यु की दशा में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन किसी सदस्य के शेयर या हित का अन्तरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ङ) ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनसे धन शोध्य है, किये गये संदायों के विनियोजन का ढंग;

(च) सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और प्रतिवाद करने के लिए अधिकारी या अधिकारियों की शक्तियां।

SCHEDULE-B

(See Section 8)

SUBJECT MATTER OF BYE-LAWS

(1) The bye-laws of a co-operative society shall provide for the following matters, namely :-

(a) the name and address of the society;

(b) the area of its operation;

(c) the objects of the society;

(d) the manner in which funds may be raised and the maximum share-capital which a single member may hold;

(e) the nature and extent of the liability of the members;

(f) the extent to which the society may borrow funds and the rates of interest payable on such funds;

(g) the entrance and other fees to be collected from members;

(h) the purposes for which its funds may be applied;

(i) the terms, qualifications and conditions of admission of members and their rights and liabilities;

(j) in the case of credit societies,—

(i) the maximum loan admissible to a member;

(ii) the maximum rates of interest of loans to members;

(iii) the conditions on which loans may be granted to members;

(iv) the procedure for granting extension of time for the re-payment of loans and advances;

(v) the consequences of default in payment of any sum due; and

(vi) the circumstances under which a loan may be recalled.

(k) the mode of conducting business, purchases, sale, stock-taking and other allied matters in case of non-credit societies;

(l) the mode of holding meetings and issue of notices;

(m) the mode of appointment of the committee by election or otherwise and removal of the committee and mode of appointment and removal of other officers, the duties and powers of the committee and such officers and their term;

(n) the disposal of net profits;

(o) the preparation and submission of the annual statements specified by Registrar and the publication of the same;

(p) the constitution of an "Agricultural Credit Stabilisation Fund" in case of every co-operative society which facilitates the operations of affiliated agricultural co-operative credit societies and which has received financial assistance from the Government.

(q) constitution and maintenance of funds;

(r) the privileges, rights, duties and liabilities of members including nominal and associate members;

(s) the manner of making, altering and abrogating bye-laws;

(t) the Chairperson's powers, duties and functions and his removal on his losing support of the majority;

(u) the mode of convening annual and special general meetings, issue of notices, and the business which may be transacted thereat;

(v) to send a representative to another society;

(w) any other matters incidental to the management of its business.

(2) A society may make bye-laws for the following matters, namely :-

(a) the method of recruitment, the conditions of service and the authority competent to fix, revise or regulate the scales of pay and allowances of paid officers and employees of the society and the procedure to be followed in the disposal of disciplinary cases against them;

(b) the circumstances under which withdrawal from membership may be permitted;

(c) the procedure to be followed in case of withdrawal, ineligibility and death of members;

(d) the conditions, if any, under which the transfer of share or interest of a member may be permitted;

(e) the method of appropriating payments made by members from whom moneys are due;

(f) powers of an officer or officers to sign documents and to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society.

❑ ❑

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, शुक्रवार, शाके 1931–अक्टूबर 16, 2009 *Asvina 24, Friday, Saka 1931–October 16, 2009*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2009

संख्या प. 4 (7) विधि/2/2009.–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा 16 अक्टूबर, 2009 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009

(2009 का अध्यादेश संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया।]

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 2 का संशोधन.– राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इस अध्यादेश में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(i) उसके विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(क) "शीर्ष सहकारी बैंक" से ऐसी शीर्ष सोसाइटी अभिप्रेत है जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है ; " ;

(ii) विद्यमान खण्ड (घ) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न "; " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्बन्धन लागू नहीं होंगे। " ;

(iv) विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(घक) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां हैं और जो बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है ; " ;

(v) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(तक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ; ";

(vi) विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(थक) "प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (गगiv) के अधीन यथा परिभाषित और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है ; " ;

(vii) विद्यमान खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(नक) " भारतीय रिजर्व बैंक " से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ; " ; और

(viii) विद्यमान खण्ड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(भक) "लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी" से, या तो शीर्ष स्तर पर, केन्द्रीय स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर लघु अवधि सहकारी साख व्यवसाय में लगी हुई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है

और इसमें शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी सम्मिलित है ; " ।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 5 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 5 में विद्यमान उप–धारा (3) के पश्चात् एक नयी उप–धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) किसी भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसका परिसंघ या संगम (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) को उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक" या शब्द "बैंक" के किसी भी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा या अपने नाम के भाग रूप में उसका उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु जहां किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या इसको परिसंघ या संगम को (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 7) के प्रारंभ से पूर्व उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक" या उसके किसी भी व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर अपना नाम परिवर्तित करेगा ताकि धारा 9 के उपबंधों के अनुसार उसके नाम से शब्द 'बैंक' या उसका व्युत्पन्न शब्द, यदि कोई हो, हटाया जा सके :

परन्तु यह और कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट कोई सोसाइटी उक्त परन्तुक के उपबंधों का, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश करेगा । "।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 15 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 15 में विद्यमान उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) उप–धारा (2) या उप–धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यष्टि जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में ऐसी न्यूनतम रकम, ऐसी न्यूनतम कालावधि के लिए, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जमा कराता है तो वह उस कालावधि जिसके दौरान, जमा राशि सोसाइटी में रहती है, पूर्ण मतदान अधिकारों सहित उस सोसाइटी का सदस्य समझा जायेगा। "।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 27 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 27 की विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप–धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(2–क) उपरोक्त उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में वृत्तिकों की इतनी संख्या होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये और जो लेखांकन, विधि, बैंककारी, प्रबंध, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले या ऐसे क्षेत्रों में, यदि कोई हों, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसा ज्ञान या अनुभव रखने वाले हों और यदि ऐसी संख्या में वृत्तिक निर्वाचित नहीं होते तो, ऐसे शीर्ष सहकारी बैंक या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति यह विचार किये बिना कि आया ऐसे वृत्तिक सदस्य हैं या नहीं, ऐसी संख्या में वृत्तिकों का पूर्ण मतदान अधिकारों सहित सहयोजन कर सकेगी :

परन्तु जहां अपेक्षित न्यूनतम अर्हता के बिना कोई व्यक्ति इस उप–धारा के अधीन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया जाये, वहां उसका सहयोजन अकृत और शून्य समझा

जायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा । "।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में एक नयी धारा 27-क का अन्तःस्थापन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"**27-क. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और हटाया जाना.**– (1) शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसे मानदंड पूरे करेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति जो शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-नियत मानदंड पूरे नहीं करता है तो वह ऐसे पद के लिए अपात्र समझा जायेगा और यदि ऐसा व्यक्ति पद धारण करता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस आशय की सलाह प्राप्त होने पर हटा दिया जायेगा।"।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 28 में,–

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए या समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी

भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है :

परन्तु यह निरर्हता सदस्य सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।"; और

(ii) यथापूर्वोक्त संशोधित उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(3–क) उप–धारा (3) में अंतर्विष्ट कसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निर्वाचित, सहयोजित, नामनिर्देशित, या अन्यथा नियुक्ति के लिए या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा ऐसे बैंक से लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में नब्बे दिवस से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है ;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, जो एक वर्ष से अधिक की कालावधि से व्यतिकमी है, का प्रतिनिधि है जब तक कि व्यतिकम दूर न कर दिया जाये ;

(iii) ऐसा व्यक्ति है जो, ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समिति अधिक्रांत कर दी गयी है या उसकी स्वयं की समिति में सदस्य न रहा हो। "।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 29 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 29 में,–

(i) उप–धारा (1) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यदि सरकार ने शेयर पूंजी में अभिदाय किया हो तो, राज्य सरकार को शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में केवल एक सदस्य नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा और वह शेयर पूंजी में सरकार के अभिदाय को विचार में लाये बिना किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति में कोई सदस्य नामनिर्देशित नहीं करेगी।"

(iii) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है, वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। सरकार या यथानिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।"।

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम

या नियमों या उप–विधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है या राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सोसाइटियों के संबंध में समय–समय पर बनाये या जारी किये गये विनियमों का अनुपालन नहीं करता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।"।

(ii) विद्यमान उप–धारा (2) में खण्ड (ख) के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया जायेगा :

परन्तु यह और कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने और प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया ऐसी सिफारिश से एक मास के भीतर–भीतर पूरी की जायेगी :

परन्तु यह भी कि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति को निम्नलिखित शर्तों के सिवाय नहीं हटाया जायेगा, अर्थात् :–

(क) सोसाइटी को निरन्तर तीन वर्षों में हानि हुई है ; या

(ख) सोसाइटी में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं या कपट की पहचान हुई है; या

(ग) इस आशय के न्यायिक निदेश हैं ; या

(घ) समिति में गणपूर्ति की स्थायी कमी है ; "।

(iv) विद्यमान उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

" (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति को भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर ऐसी सिफारिश के एक मास के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में हटाया या अधिक्रांत किया जा सकेगा।"।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 30–क और 30–ख का अंतःस्थापन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30 के पश्चात् और विद्यमान धारा 31 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

31–क. भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की बाध्यता.– (1) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति के अधिकमण या शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन की सिफारिश सहित भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर–भीतर कियान्वित कर लिया गया है ।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति के परिसमापन या अधिकमण के लिए सलाह से एक मास के भीतर–भीतर परिसमापक या, यथास्थिति, प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी है ।

(3) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है, एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा ।

(4) रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा सलाह दिये जाने पर धारा 27 की उप–धारा (2–क) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित ऐसे किसी व्यक्ति का, जो उसमें वर्णित अपेक्षित अर्हताएं न रखता हो, एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा ।

31–ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.–इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात् :–

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर ;

(ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले।

(ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र ; और

(घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां । " ।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 44 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 44 में,–

(i) उप–धारा (1) में विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु यह और कि सरकार किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी या सरकार के पास सरकार की शेयर पूंजी और घटाने का विकल्प होगा ।" ।

12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 में नयी धारा 47–क का अंतःस्थापन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के पश्चात् और विद्यमान धारा 48 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"47–क. प्रूडेन्शियल मानक.– कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी जोखिम भारित अनुपात के लिए पूंजी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रूडेन्शियल मानकों का अनुसरण करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ।" ।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 48 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(i) उप–धारा (2) में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिहन ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

"परन्तु कोई लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी किसी ऐसी निधि, जो इसकी शुद्ध आस्ति के उन्नयन के लिए स्थापित या संधारित की जाये, के सिवाय किसी अन्य निधि में अंशदान करने के लिए आबद्ध नहीं होगी :

परन्तु यह और कि कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इसके शुद्ध लाभ के व्ययन का विनिश्चय और लाभांश की घोषणा कर सकेगी। "।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 49 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 49 में अंत में आये विद्यमान विराम

चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी अपनी निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था में विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी।"।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 50 का **संशोधन.**– मूल अधिनियम की धारा 50 के विद्यमान उपबंध उसकी उप–धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी–

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और किसी राष्ट्रीय बैंक या किसी अन्य पुनर्वित्त एजेंसी से सीधे या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेगी और उसके लिए केवल उस परिसंघीय स्तर जिससे यह सहबद्ध है, से वित्त प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप जमाओं और उधारों पर ब्याज–दरें विनिश्चित कर सकेगी।"।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 51 का **संशोधन.**– मूल अधिनियम की धारा 51 की विद्यमान उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी अपनी उधार नीतियां

अवधारित कर सकेगी और सोसाइटी और इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों को व्यक्तिगत उधार विनिश्चित कर सकेगी।''।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 54 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 54 की विद्यमान उप–धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराएं जोडी जायेंगी, अर्थात् :–

"(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी उप–धारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखापरीक्षकों के पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों में से किसी के द्वारा अपने लेखाओं को संपरीक्षित और प्रमाणित करा सकेगी :

परन्तु शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के लेखा, राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल (सूची) में से उसके द्वारा नियुक्त चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा संपरीक्षित और प्रमाणित किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी लेखापरीक्षा के लिए प्रतिकर विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(10) लेखा परीक्षक, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है, की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगा।

(11) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में अनुरोध किया जाये तो राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और नियत समय के भीतर–भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट भी देगा।''।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 61 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की लोकहित में इस आशय की सिफारिश के एक मास के भीतर–भीतर जारी कर दिया जायेगा।"।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 62 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 62 में,–

(i) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार द्वारा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किया जायेगा" के पूर्व अभिव्यक्ति "एक मास के भीतर–भीतर" अन्तःस्थापित की जायेगी ;

(ii) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी अपेक्षा की जाये तो" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "बैंक की समिति या" के पूर्व अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा के एक मास के भीतर–भीतर" अन्तःस्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 125 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 125 की उप–धारा (1) में अंत में आए हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु सरकार या रजिस्ट्रार कोई भी ऐसा कार्य या कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसा आदेश या निदेश जारी नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी को प्रदत्त स्वतंत्रता या शक्तियों को कम करता हो या इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।"।

शीलेन्द्र कुमार सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 16, 2009

No. F. 4 (7) Vidhi/2/2009.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is Pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sahakari Society (Sanshodhan) Adhyadesh, 2009 (2009 Ka Adhyadesh Sankhyank 7) promulgated by him on the 16th day of October, 2009:-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009

(Ordinance No. 7 of 2009)

(Made and promulgated by the Governor on the 16th day of October, 2009)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixtieth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter in this Ordinance referred to as the principal Act,-

(i) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa), so renumbered, the following new clause shall be added, namely :-

"(a) "Apex Co-operative Bank" means an apex society which is the federal body of the Central Co-operative Banks in the State and is engaged in the business of banking;";

(ii) in the existing clause (d), for the existing punctuation mark ";", appearing at the end, the punctuation mark ": " shall be substituted;

(iii) after the existing clause (d), so amended, the following new proviso shall be added, namely :

"Provided that in respect of a short term co-operative credit structure society, restrictions regarding the area of operation shall not be applicable.";

(iv) after the existing clause (d), the following new clause shall be added, namely :-

"(da) "Central Co-operative Bank" means a central society which has primary agricultural credit societies as its members and is engaged in the business of banking;";

(v) after the existing clause (p), the following new clause shall be added, namely :-

"(pa) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Central Act No. 61 of 1981);";

(vi) after the existing clause (q), the following new clause shall be added, namely :-

"(qa) "primary agricultural credit society" means a co-operative society as defined under clause (cciv) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949) and is registered under the Act ;";

(vii)after the existing clause (t), the following new clause shall be added, namely :-

"(ta) "Reserve Bank of India" means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No.2 of 1934);"; and

(viii) after the existing clause (x), the following new clause shall be added, namely :-

"(xa) "short term co-operative credit structure society" means a society engaged in short-term co-operative credit business either at the apex level, central level or primary level and includes the Apex Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a primary agricultural credit society;".

3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 5 of the principal Act, after the existing sub-section (3), a new sub-section (4) shall be added, namely :-

"(4) No primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) shall be registered with the word 'bank' or any other derivative of the word 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name:

Provided that where any primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) has been registered before the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 7 of 2009) with the word 'bank' or any of its derivatives in its registered name, it shall within three months from the date of such commencement, change its name so as to remove the word 'bank' or its derivative, if any, from its name in accordance with the provisions of section 9:

Provided further that where any society referred to in the preceding proviso fails to comply with the provisions of the said proviso within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society.".

4. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 15 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), an individual, who deposits in a primary agricultural credit society such minimum amount for such minimum period as may be specified by the Registrar from time to time, shall be deemed to be the member of that society with full voting rights during the period for which the deposit remains with the society.".

5. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 27 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) above, there shall be such number of professionals on the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time and having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy or such knowledge or experience in such fields, if any, as may be specified by the Reserve Bank of India and in case such number of professionals do not get elected, the committee of such Apex Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank , as the case may be, shall co-opt such number of professionals with full voting rights irrespective of whether such professionals are members or not:

Provided that where a person has been co-opted as a member of the committee under this sub-section without having the requisite minimum qualifications, his co-option shall be treated as null and void and shall be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.".

6. Insertion of a new section 27-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 27, and before the existing section 28 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**27-A. Appointment and Removal of the Chief Executive Officer.-** (1) The Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be appointed by the committee of the concerned bank and fulfil such criteria as may be stipulated by the Reserve Bank of India.

(2) A person who does not fulfil the criteria for the post of the Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank as stipulated by the Reserve Bank of India shall be treated as ineligible for such post and if such person is holding the post, he shall be removed on receipt of advice to this effect from the Reserve Bank of India or the National Bank.".

7. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 28 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society."; and

(ii) after sub-section (3), amended as aforesaid, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted, nominated, or otherwise appointed, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he –

(i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural credit society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared;and

(iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member on the committee of his own society.".

8. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 29 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that the State Government shall have right to nominate only one member on the

committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks if the Government has subscribed to the share capital and shall not nominate any member on the committee of a primary agricultural credit society irrespective of the Government's subscription to the share capital."; and

(iii) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a co-operative society other than a short term co-operative credit structure society to the extent of five lakhs rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society who shall be the ex-officio Member-Secretary of the committee. The Government or such authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.".

9. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on

it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, or in the case of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, does not comply with the regulations made or issued by the Reserve Bank of India from time to time in respect of such societies or does not fulfil any eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.";

(ii) in the existing sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of clause (b), the punctuation mark ":" shall be substituted;

(iii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely :-

"Provided that before removal of the committee of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank under this section the Reserve Bank of India shall be consulted:

Provided further that the process of removing the committee and appointing an administrator of the Apex Co- operative Bank or a Central Co-operative Bank on the recommendation of the Reserve Bank of

India shall be completed within one month of such recommendation:

Provided also that the committee of a primary agricultural credit society shall not be removed except on the following conditions, namely:-

(a) the society has incurred losses for three consecutive years; or

(b) serious financial irregularities or frauds have been identified in the society; or

(c) there are judicial directives to this effect; or

(d) there is perpetual lack of quorum in the committee;"; and

(iv) after the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in this Act, the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Bank shall be removed or superseded by the Registrar in public interest at the recommendation of the Reserve Bank of India within one month of being so advised.".

10. Insertion of a new sections 30-A and 30-B in Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 30, and before the existing section 31, of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"30-A. Obligations of the Registrar to ensure compliance of Reserve Bank of India's regulatory prescriptions.- (1) The Registrar shall ensure that Reserve Bank of India's regulatory prescriptions including recommendation for supersession of the committee or

winding up of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks are implemented within one month of being advised by the Reserve Bank of India.

(2) The Registrar shall ensure that the liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being advised by the Reserve Bank of India for winding up or supersession of the committee.

(3) The Registrar shall, within one month, ensure removal of Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank who does not fulfil eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect.

(4) The Registrar shall, within one month, on being advised by the Reserve Bank of India or the National Bank, ensure removal of any person elected or co-opted as a member of the committee under sub-section (2-A) of section 27 without having the requisite qualification mentioned therein.

30-B.Autonomy in all financial and internal administrative matters.–Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society shall have autonomy in all its financial and internal administrative matters including the following areas, namely:-

(a) personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff;

(b) issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure of its choice including entry and exit at any level;

(c) area of operation according to its business requirements; and

(d) internal control systems.".

11. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 44 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that the Government shall not hold more than twenty-five percent of the total share capital of a short term co-operative credit structure society and such society or the Government shall have option to further reduce the Government's share capital.".

12. Insertion of a new section 47-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 47, and before the existing section 48, of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**47-A. Prudential norms.-** A primary agricultural credit society shall follow such prudential norms including Capital to Risk Weighted Assets Ratio as may be specified by the Registrar from time to time in consultation with the National Bank.".

13. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 48 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely :-

"Provided that a short term co-operative credit structure society shall not be bound to contribute to any funds other than funds as may be established or maintained for the improvement of its net worth:

Provided further that a primary agricultural credit society may decide disposal of its net profits and declare dividend as per the guidelines issued by the Registrar in consultation with the National Bank.".

14. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 49 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added , namely :-

"Provided further that a short term co-operative credit structure society may invest or deposit its funds in any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India. ".

15. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing provision of section 50 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society may –

(i) borrow from any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India and

refinance from the National Bank or any other refinancing agency directly or through any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and not necessarily from only the federal tier to which it is affiliated; and

(ii) decide interest rates on deposits and loans in conformity with the guidelines issued in this regard by the Reserve Bank of India.".

16. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (5) of section 51 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely :-

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, a short term co-operative credit structure society may determine its loan policies and decide individual loan to its members keeping in view the interests of the society and its members.".

17. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (8) of section 54 of the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(9) Notwithstanding anything contained in this section, a primary agricultural credit society may get its accounts audited and certified by any of the auditors appointed by it from the panel of auditors prepared under sub-section (1):

Provided that the accounts of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank shall be audited and certified by Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 (Central Act No. 38

of 1949) appointed by it from the panel approved by the National Bank:

Provided further that the short term co-operative credit structure society shall be free to decide the compensation for audit.

(10) The auditor who audits the accounts of a short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(11) The Registrar shall ensure conduct of special audit of State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if requested by the Reserve Bank of India in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and also furnish the report to Reserve Bank of India within the time stipulated.".

18. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (2) of section 61 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an order for winding up of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be issued within one month of the recommendation of the Reserve Bank of India to that effect in public interest.".

19. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 62 of the principal Act,-

(i) in clause (ii), after the existing expression "the Registrar", and before the existing expression "if so required ", the expression "within a month" shall be inserted; and

(ii) in clause (iii), after the existing expression "an order shall be made ", and before the existing expression "for the removal of", the expression, " by the Registrar within one month of such requisition " shall be inserted.

20. Amendment of section 125, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (1) of section 125 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and after the existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided that the Government or the Registrar shall not do anything or take action or issue any order or directive which has effect of curtailing any of the freedom or powers given under this Act to any short term co-operative credit structure society or adversely affect the provisions of this Act.".

SHILENDRA KUMAR SINGH
GOVERNOR OF RAJASTHAN.

एस. एस. कोठारी,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.